

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 589]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2011—पौष 9, शक 1933

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 2-16-2010-सात-शाखा-6.— भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 1-70-सात-सा-2-83, दिनांक 5 जनवरी, 1984 में, जो दिनांक 6 जनवरी 1984 को “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, कॉलम (2) में, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 57 में उपधारा (3-क) के अंतः स्थापन संबंधी पैरा 1 का लोप किया जाए.

भोपाल :
दिनांक 27 दिसम्बर 2011.

हस्ता./-
(राम नरेश यादव)
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर / 30 दिसम्बर 2011

क्र. एफ. 2-16-2010-सात-शा.-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्र. एफ. 2-16-2010-सात-शा.-6, दिनांक 27 दिसम्बर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 27th December 2011

No. F-2-16-2010-VII-Sec. 6.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 5 of the Fifth Schedule to the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-70-VII-N-2-83, dated 5th January, 1984 which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" date 6th January, 1984, namely :—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, in column (2), para 1 regarding insertion of sub-section (3-a) in Section 57 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) shall be deleted.

Bhopal :
Dated 27th December 2011

Sd./-
(RAM NARESH YADAV)
Governor,
Madhya Pradesh.